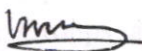


Office of the District Collector, Chamoli
District-Chamoli (Uttarakhand)

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee
constituted under Schedule Tribe and Other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Shri Vinod Kumar Suman (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 23-03-17 at 3:00 PM Chamoli in which the application claiming rights in **Nagar Palika Area Joshimath Tehsil** area measuring 1.149 Hectares for the **Augmentation of Source (Long Terms) Water supply scheme Joshimath** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub-Division Level Committee of **Joshimath Tehsil** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion no objection/claim were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion of the land for such purpose.


23-03-17
District Magistrate-cum-
Chairman District Level
Committee Chamoli



FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Dated-
23.03.17

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.149 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Peyjal Nigam Gopeshwar for Construction of **Augmentation of Source (Long Term) Water supply scheme Joshimath Chamoli district** falls within jurisdiction of village **Nagar Palika area Joshimath Tehsil.**

It is further certified that

- (a) The completed process identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.149 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meaning of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above

Signature

(Vinod Kumar Suman (IAS)

23.03.17

विभागाधिकारी
चमोली

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम: - जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोशीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

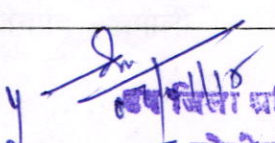
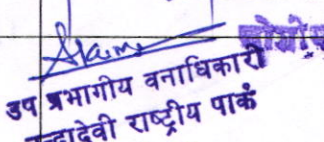
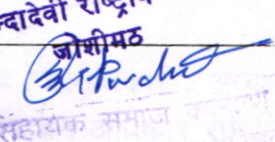
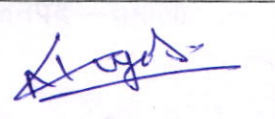
प्रमाण - पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जोशीमठ

उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन)

के निर्माण हेतु (1.149 हे० आरक्षित वन भूमिहे० सिविल एवं सोयम वन भूमिहे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.149 हे० वन भूमि) का पेयजल योजना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जोशीमठ) की दिनांक 07-01-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कर विवरण: -

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री योगेन्द्र सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र०स०	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	पद का नाम	समिति द्वारा चयनित	मुहर/हस्ताक्षर
1.	श्री योगेन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी
2.	श्री सर्वेश कुमार दुबे	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
3.	श्री उमेश चन्द्र	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	 जोशीमठ सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4.	श्री नितेश कुमार	सहायक वन अधिकारी	सदस्य	 सहायक वन अधिकारी

(64)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन) परियोजना हेतु 1.1.14. हे0 वन भूमि पेयजल योजना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री सर्वेश कुमार दुबे द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दाव/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन) परियोजना के निर्माण हेतु 1.1.14. हे0 वन भूमि पेयजल योजना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने के सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - जोशीमठ

जनपद - चमोली

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

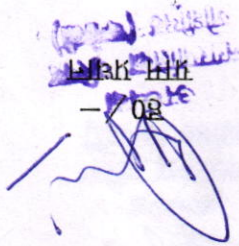
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - जोशीमठ

जनपद - चमोली

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण पत्र में दिया जाय।
उक्त पत्र उप जिवाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोज्य।
एवंसी की उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम सचिव
ह/0/-



प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

कोई आपत्ति नहीं है।
प्रयोज्य एवंसी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
किया गया कि ग्राम - ग्रामवासी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
वहाँ के उपरान्त ग्राम समूह द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित

आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
कच्चा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
अभिप्रेत, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
सम्पन्न ग्राम समूह/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एवंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्रामवासी दिनांक 02/11/16 को
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

ग्रामवासी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पंचायत एवं वन मंत्रालय
वन पंचायत भूमि - ह/0 अर्थात् कुल 1.149 हे० वन भूमि का
के निर्माण हेतु (1.149 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.149 हे० विविध सीमा भूमि, ह/0,
उत्तराखण्ड में जनपद - कानूनी के अन्तर्गत ग्रामवासी परियोजना
अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्रामवासी, जिला - गढ़वाल, तहसील - गढ़वाल

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- ग्रामवासी ग्रामवासी

[illegible]

दिनांक 02/11/2020 को श्री राम राम श्री कृष्ण श्री कर्णेश्वरि